उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
संख्या-118/2015/4319/92-1-2015-51(अधि0)/2015,
लखनऊ: दिनांक: 23 सितम्बर, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

श्री योगेन्द्र नारायण चौधरी,
सहायक अभियंता (विद्युत),
ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,
सम्प्रति गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
(प्रतिनियुक्ति पर),
द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता,
ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

वेतन समिति 2008 की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राज्य कर्मचारियों के लिये सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) की व्यवस्था विषयक शासनादेश सं0-वे0आ0-2-773/दस-62(एम)/2008, दिनांक 05-11-2014 के प्राविधानों के अन्तर्गत आपको द्वितीय सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) के रूप में दिनांक 01-12-2013 से ग्रेड वेतन रू0 7600/- अनुमन्य कराये जाने का प्रकरण विचाराधीन है।

2- अत: आपको निर्देशित किया जाता है कि कृपया संदर्भित शासनादेश दिनांक 05-11-2014 के प्रस्तर-1 के उपप्रस्तर-18 के प्राविधानों के अनुसार एक सप्ताह में आप अपना विकल्प शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें कि आप अपने पैत्रिक विभाग के मूल पद के आधार पर ए0सी0पी0 के अन्तर्गत देय वेतन बैण्ड में वेतन एवं ग्रेड वेतन प्राप्त करना चाहते हैं अथवा प्रतिनियुक्ति के वर्तमान पद पर अनुमन्य हो रहे वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन के आधार पर।

(शिशिर कुमार यादव)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in